न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2017/00289 (337/2017) 225 आरटीएक्ट

1. परविन्द्र कौर पुत्री
2. गुरतिन्द्र कौर पुत्री

} सतपालसिंह आयु 8 वर्ष नाबालिगान जरिये कुरदतीवली माता वीरपाल कौर पत्नी स0 सतपालसिंह जाति छिम्पा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) –अपीलाण्ट

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र श्री बन्तासिंह जाति छिम्पा निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
2. बलविन्द्रसिंह पुत्र भूपसिंह जाति छिम्पा निवासी मालारामपुरा तहसील संगरियास जिला हनुमानगढ (राज0)
3. नाजरसिंह पुत्र बन्तासिंह जाति छिम्पा निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
4. उप पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग संगरिया जिला हनुमानगढ। –रेस्पोडेण्ट्स

विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.06.2017 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया प्र. सं. 82/2017

श्री प्रध्युमन सिंह परमार अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3

श्री खुशकरणसिह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांकः– 14.10.2019

1. अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि है जिसमें अपीलाण्ट का हक हिस्सा है। अप्रार्थी विरास्तन पैतृक कृषि भूमि में प्रार्थीगण का हिस्सा घोषित करवाये बिना समस्त कृषि भूमि का दानपत्र अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम ब.हि.ब. दर्ज करवाली है। प्रार्थीगण नाबालिगान हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के हकों को रक्षित किया जाना आवश्यक है इसलिए जरिये कुदरती वली माता प्रार्थीगण की और से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का नाजायज फायदा उठकार वाद भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान करने पर उतारू हैं। यदि ये अपने मकसद में कायमयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 05.09.2013 को एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की। उसके बाद दिनांक दिनांक 08.06.2017 को अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस तलवाना नहीं पेश करने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट की तलबी करवाने बिना तथा किसी प्रकार का एतराज किये बिना प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रस्तुत कर दिये हुए थे लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा नोटिस जारी ही नहीं किये और अभियान के दौरान उक्त पत्रावली को अविधिक तौर पर निर्णित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नाबालिगान के हक को दरकिनार करते हुए तथाकथित निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेण्ट प्रश्नगत कृषि भूमि को रहन बैय आदि द्वारा अन्तरित करना चाहता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय आपके द्वारा कैम्प मालारामपुरा तहसील संगरिया में दिनांक 08.06.2017 को लगाया गया जबकि प्रार्थीगण को उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई नोटिस नहीं दिया गया। इस कारण अपीलाण्ट को अपीलधीन आदेश की जानकारी नहीं हुई। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को सिविल न्यायालय में चल रही कार्यवाही के बारे में जब अपने अधिवक्ता से मिला तब उनके अधिवक्ता ने सर्वप्रथम जानकारी हुई तब प्रार्थीगण की माता ने बिना किसी देरी के आदेश की नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील ज्ञान से अन्दर मियाद है। अतः डिले कन्डोन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि स्थगन प्रार्थना–पत्र का निस्तारण विधि अनुसार 30 दिवस में होना चाहिए। अपीलाण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर एकपक्षीय स्थगन प्राप्त कर लिया उसके बाद इनके द्वारा अप्रार्थी की तलबी हेतु कोई नोटिस प्रस्तुत नहीं किये जिसके आधार पर अपीलाण्ट का स्थगन प्रार्थना –पत्र खारिज किया गया है। अपीलाण्टस को अपीलाधीन आदेश का पूर्व से ही ज्ञान रहा है। अपीलार्थीगण ने जानबूझकर विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है। विलम्ब का कोई उचित कारण नहीं बताया है। प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्ट के नाम से है अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्ट के खिलाफ स्थगन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में सीसीसी 2010 (2) पेज 1, निगरानी/टीए 687/2015/दौसा घासीलाल बनाम कैलाशचन्द, प्रार्थना–पत्र/टिए/693/2015/जयपुर फूलचन्द बनाम सुवालाल के माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रार्थना–पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम के तथ्यों एवं पत्रावली में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

7. जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायलाय में अपीलार्थीगण ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधीनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज आराजी में अपना हक हिस्सा होने का कथन करते हुए रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा। उपखण्ड अधिकारी संगरिया ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना–पत्र को दिनांक 05.09.2013 को दर्ज करते हुए एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया। पत्रावली अप्रार्थीगण की तलबी हेतु चलती रही। दिनांक 08.06.2017 को पत्रावली मालारामपुरा कैम्प कोर्ट में पेश होने पर यह अंकित किया कि "राजस्व लोक अदालत मे निस्तारण नहीं हुआ आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 26.07.2017 को पेश हो।" इस प्रकार पत्रावली में आगामी कार्यवाही हेतु तारीख पेशी दी जा चुकी थी और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी हो चुके थे लेकिन उसके बाद उसी दिन पुनश्चः अंकित करते हुए आदेशिका में यह अंकित किया कि "प्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 05.09.2013 को जारी है किन्तु प्रार्थीपक्ष द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस तलवाना कई अवसरों के बावजूद पेश नहीं किया गया है। अतः मूल प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए तलबी के अभाव में खारिज किया जाता है।" इस तरह अपीलाण्ट को पूर्व में आगामी तारीख 26.07.2017 दी जा चुकि थी। इसके बाद पुनश्चः अंकित करते हुए न्याय आपके द्वारा अभियान मालारामपुरा में अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट को मालाराम पुरा कैम्प में उपस्थित होने के संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया गया। वैसे भी अभियान में केवल सहमति के आधार पर होने वाले प्रकरणों का ही निस्तारण किया जाता है। इस प्रकरण में आपस में सहमति नहीं थी। रेस्पोडेण्ट की तलबी नहीं हुई थी। प्रार्थीगण को कैम्प की सूचना नहीं होने के कारण वह उपस्थित नहीं था तथा तारीख पेशी दी जाकर पुनश्चः अंकित करते हुए अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का सन्तुलन तीनों बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण के तथ्यों से भिन्न तथ्यों पर आधारित होने के कारण इस पर चस्पा नहीं होते है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.12.2019 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.11.26 12:44:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: